

भारत सरकार
नागर विमानन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न संख्या : 3132

गुरुवार, 18 दिसम्बर, 2025/27 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला
उत्तर

तमिलनाडु के लिए उड़ान योजना के तहत वायुमार्ग

3132. श्री मलैयारासन डी. :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तमिलनाडु में उड़ान योजना के अंतर्गत वर्तमान में कुल कितने मार्ग संचालित हैं और यात्रियों की संख्या कितनी है;

(ख) नए उड़ान मार्गों को समय पर प्रारम्भ करने तथा नियमित उड़ान प्रचालन बनाए रखने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उड़ान योजना के अंतर्गत बढ़ते हवाई यातायात को संभालने के लिए क्षेत्रीय विमानपत्तनों का उन्नयन किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उड़ान मार्गों पर एयरलाइन के अनुपालन, सुरक्षा मानकों और सेवा गुणवत्ता की निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) उड़ान योजना के अंतर्गत क्षेत्रीय वायु संपर्क बढ़ाकर पर्यटन, व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्या पहल की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुरलीधर मोहोल)

(क) : आरसीएस-उड़ान योजना के तहत, वर्तमान में तमिलनाडु में 10 मार्ग प्रचालनरत हैं। इसके अतिरिक्त, आरसीएस योजना के तहत प्रचालित 10 मार्ग वर्तमान में गैर-आरसीएस के रूप में प्रचालनरत हैं। तमिलनाडु राज्य में आरसीएस मार्गों के लिए यात्री भार कारक का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ख) : उड़ान मार्गों की समय पर शुरुआत और स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एयरलाइनों को मार्ग अवार्ड करने से पहले व्यापार योजनाएं प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है, और कार्यान्वयन एजेंसी प्राथमिकता वाले ऐसे एयरोड्रोमों की सूची प्रकाशित करती है जो तैयार हैं या तैयार होने की संभावना है। इसके अलावा, पात्र बंद मार्गों को आगामी दौरों में पुनः बोली प्रक्रिया में शामिल, अवॉर्ड और प्रचालनरत किए जाते हैं। आरसीएस हवाईअड्डों और मार्गों की नियमित समीक्षा, यात्री भार कारकों, एयरलाइन ब्याज, परिचालन तैयारी और वित्तीय स्थिरता के आधार पर की जाती है।

(ग) : हवाईअड्डों का विस्तार और उन्नयन समय-समय हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा किया जाता है, जो भूमि की उपलब्धता, वाणिज्यिक व्यवहार्यता, यातायात की मांग/ऐसे हवाईअड्डों में/से प्रचालित करने की इच्छा पर निर्भर करता है।

(घ) : नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) निगरानी, संपरीक्षा और प्रवर्तन सहित सख्त सुरक्षा और परिचालन निरीक्षण करता है। यात्री हितों को यात्री चार्टर और संबंधित नागर विमानन अपेक्षाओं (सीएआर) के माध्यम से संरक्षित किया जाता है, जिसमें धनवापसी, उड़ान में देरी और रद्दीकरण, बोर्डिंग से इनकार किया जाना और सामान क्षतिपूर्ति दिया जाना शामिल है, जबकि डीजीसीए की टैरिफ निगरानी इकाई (टीएमयू) पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किराए की निगरानी करती है।

(ङ) : टियर-2 और टियर-3 शहरों में संपर्क में सुधार करके, आरसीएस-उड़ान योजना दूरदराज के और अल्पसेवित क्षेत्रों में पर्यटन, व्यापार, रोजगार और समग्र विकास को बढ़ावा दे रही है।

अनुलग्नक

आरसीएस-उड़ान के तहत तमिलनाडु राज्य में यात्री भार कारक

क्रम सं.	प्रस्थान	आगमन	प्रचालक	यात्री भार कारक (सितंबर 24 से अगस्त 25)
1.	सेलम	बैंगलोर	एलाइंस एअर	56.34
2.	बैंगलोर	सेलम	एलाइंस एअर	55.43
3.	सेलम	कोचीन	एलाइंस एअर	55.78
4.	कोचीन	सेलम	एलाइंस एअर	56.81
5.	सेलम	बैंगलोर	इंडिगो	84.6
6.	बैंगलोर	सेलम	इंडिगो	75.45
7.	सेलम	हैदराबाद	इंडिगो	65.12
8.	हैदराबाद	सेलम	इंडिगो	64.04
9.	चेन्नई	शिवमोगा	स्पाइसजेट	48.33
10.	शिवमोगा	चेन्नई	स्पाइसजेट	45.82
